बैंक का अधिकारी।दोनों कार्यवाहियों में साक्ष्य की प्रकृति भी समान होगी, हालाँकि प्रमाण का मानक वास्तव में अलग-अलग हो सकता है।आपराधिक मुकदमे में सबूत का मानक अधिक सख्त होगा।इस मामले में तथ्यों के साथ-साथ कानून के सवाल भी शामिल हैं।एफ. आई. आर. 31 अक्टूबर, 1995 को दर्ज की गई थी, जबकि अनुशासनात्मक कार्यवाही में आरोप पत्र 18 दिसंबर, 1997 को याचिकाकर्ता को दिया गया है।इन परिस्थितियों में, यह उचित पाया जाता है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही आपराधिक मामले के परिणाम की प्रतीक्षा कर सकती है।याचिकाकर्ता को एक ही तथ्यों और आरोपों से जुड़ी दो अनिश्चित कार्यवाही का सामना करने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए।दोनों कार्यवाहियों में तय किए जाने वाले प्रश्न लगभग समान प्रतीत होते हैं।इन परिस्थितियों में, आपराधिक मुकदमे के समापन तक अनुशासनात्मक कार्यवाही पर रोक लगाना न्यायसंगत और उचित होगा।

(12) इनफ्टेइट्रेसल्ट "में, इरीटिपेटिशनकिस ने अनुमति दी।याचिकाकर्ता के खिलाफ अनुशासन कार्यवाही आपराधिक मुकदमे के समापन तक रोक दी जाएगी।कोई लागत नहीं।

एस. के.

माननीय *जवाहर लाल गुप्ता और वी. एम. जैन* के समक्ष,

हरियाणा राज्य,-याचिकाकर्ता

बनाम

राम किशन,-अभियुक्त/प्रतिवादी

1998 का हत्या संदर्भ संख्या 2

17दिसंबर, 1999

भारतीय दंड संहिता, 1860-एस. एस. *शस्त्र अधिनियम, 1959-एस. 25* और *27-एक गर्भवती महिला सहित परिवार के पांच निहत्थे और निर्दोष सदस्यों की हत्या के लिए अभियुक्त को मृत्युदंड देने वाली निचली अदालत-क्रूर और कठोर अपराध-एफ. आई. आर. दर्ज करने में कोई अनुचित या अस्पष्ट देरी नहीं-बिना लाइसेंस के अभियुक्त से बंदूक की बरामदगी जिसका उपयोग अपराध के लिए किया गया था-अभियोजन का मामला विधिवत स्थापित-अपील खारिज-मौत की सजा की पुष्टि-सह-अभियुक्त की दोषसिद्धि भी बरकरार रही।*

माना जाता है, वह उद्देश्य आमतौर पर एक दोधारी हथियार होता है।यदि किसी व्यक्ति का हत्या करने का उद्देश्य है, तो दूसरे पक्ष का गलत तरीके से फंसाने का उद्देश्य हो सकता है।हालाँकि, वर्तमान मामले में, यह स्पष्ट है कि राम किशन के पास शिकायतकर्ता पक्ष से नाराज होने का एक कारण था।उन्होंने पूरे परिवार का वस्तुतः सफाया करने का चरम कदम उठाया था।हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे पता चले कि शिकायतकर्ता पक्ष के पास अपराधी को छोड़ने या राम किशन को गलत तरीके से फंसाने का कोई कारण था।

(पैरा 25)

आगे यह माना गया कि यह हो सकता है कि प्रत्येक चोट का चित्रात्मक रूप से वर्णन नहीं किया गया हो।लेकिन हम यह नहीं भूल सकते कि मानव स्मृति की सीमाएँ हैं।समान रूप से, घटनाओं की धारणा भी फोटोग्राफिक नहीं हो सकती है।जब किसी घटना का वर्णन किया जाता है, तो कुछ विवरणों को भुला दिया जा सकता है और कुछ को अनावश्यक होने के रूप में नजरअंदाज किया जा सकता है।हालांकि, बाद की तारीख में, कोई भी घटनाओं के क्रम को दोहरा सकता है और इसका वर्णन कर सकता है।मामूली भिन्नताएँ वास्तव में झूठ के बजाय

सच्चाई का संकेत हो सकती हैं।

(पैरा 41)

इसके अलावा, राम किशन ने एक परिवार के पांच सदस्यों, माता-पिता, भाई, भाबी और शिकायतकर्ता की पत्नी की जान ले ली थी, जो 6 से 7 महीने की गर्भवती थी।कोई उकसावा नहीं था।इसका कोई औचित्य नहीं था।यह एक बीमार दिमाग का कार्य था।निर्दयी और निर्दयी तरीके से निर्दोष लोगों की जान ले ली गई।असहाय, बुजुर्गों के साथ-साथ महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया।अभियुक्त ने कोई करुणा नहीं दिखाई।वह किसी के लायक नहीं है।

(पैरा 43)

इसके अलावा यह माना जाता है कि मृत्युदंड का पुरस्कार दुर्लभ है।हालाँकि, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि राम किशन जैसे लोगों को निर्दोष और निहत्थे व्यक्तियों पर कठोर अपराध करने की अनुमति न दी जाए।मोरेसो, बूढ़ी और असहाय महिलाओं के मामले में।हम किसी भी दया को उचित ठहराने के लिए कोई कम करने वाली परिस्थितियाँ नहीं पाते हैं।इस प्रकार, राम किशन को दी गई मौत की सजा की पुष्टि हो जाती है।

(पैरा 44)

अमरजीत सिंह, एडिशनल।याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विशाल शर्मा *के साथ ए. जी. हरियाणा।*

प्रत्यर्थी की ओर *से अधिवक्ता आर. एन. कुश।*

निर्णय

न्यायमूर्ति जवाहर लाल गुप्ता,

(1) तीन लोग रामकिशन, मोमन और मुन्ना ने रिसाल सिंह, उनकी पत्नी-जादाव देवी, उनके बेटे-ओम प्रकाश और दो पुत्रवधू श्रीमती की हत्या करने का प्रयास किया। दर्शना और श्रीमती. बाला।निचली अदालत ने राम किशन को आई. पी. सी. की धारा 272 और शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 27 के तहत दोषी पाया है।उन्हें आई. पी. सी. की धारा 272 के तहत मौत की सजा और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत तीन साल के आर. आई. की सजा सुनाई गई है। मुन्ना को आई. पी. सी. की धारा 302/34 के तहत दोषी पाया गया है और उसे एक लाख रुपये के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 5000।मोमन को आईपीसी की धारा 120 बी और आईपीसी की धारा 30 के तहत बरी कर दिया गया है।

शस्त्र अधिनियम। राम किशन और मोमन को हालांकि शस्त्र अधिनियम की धारा 25 और 29 के तहत दोषी ठहराया गया है।

(2) हमारे सामने पाँच मामले हैं।1998 का हत्या संदर्भ सं. 2,1998 का आपराधिक अपील सं. 188-डी. बी. और 1998 का आपराधिक संशोधन सं. 722 मुख्य हत्या मामले में निर्णय से उत्पन्न होता है।अन्य दो अर्थात्। 1998 की आपराधिक अपील संख्या 189-डी. बी. और 325-एस. बी. शस्त्र अधिनियम, 1959 के तहत निर्णय से उत्पन्न होती है।चूँकि मूल घटना जिसमें से सभी पाँच मामले उत्पन्न होते हैं, एक है, इन्हें एक सामान्य आदेश द्वारा निपटाया जा सकता है।प्रासंगिक तथ्यों पर संक्षेप में ध्यान दिया जा सकता है।

(3) मृतकों में से एक रिसाल सिंह और छजू राम भाई हैं।शिकायतकर्ता राम मूर्ति और

मृतकों में से एक अन्य ओम प्रकाश, रिसाल सिंह के बेटे हैं।जे अडाओ देवी उनकी पत्नी हैं।श्रीमती. बाला-मृतक जो 6/7 महीने का भ्रूण ले रहा था, शिकायतकर्ता राम मूर्ति की पत्नी है।श्रीमती. दर्शना-मृतक ओम प्रकाश की पत्नी थी।छजू राम के तीन बेटे हैं-राम किशन (आरोपी) प्रदीप और दलबीर।

(4) दोनों भाइयों (रिसाल सिंह और छजू राम) के पास-पास खेत थे।रिसाल सिंह के पास लगभग साढ़े सात एकड़ जमीन थी।वह अपने बेटों के साथ रह रहा था।उन्होंने खेत में अपना 'धानी' (फार्म हाउस) बनाया था।उन्होंने घटना की तारीख से लगभग डेढ़ साल पहले एक ट्यूबवेल भी स्थापित किया था। 2 मार्च, 1995।छजू राम के पुत्रों ने अपने खेत में एक नलकूप लगाना शुरू कर दिया था।उन्होंने एक जगह चुनी थी जो शिकायतकर्ता के ट्यूबवेल के करीब थी।शिकायतकर्ता ने उन्हें साइट को स्थानांतरित करने के लिए कहाःराजी करने में विफल रहने के बाद, उन्होंने हिसार में दीवानी अदालत का दरवाजा खटखटाया और 1 मार्च, 1995 को स्थगन आदेश प्राप्त किया।इसके बावजूद, प्रदीप और दलबीर ने ट्यूबवेल की खुदाई जारी रखी।2 मार्च, 1995 को ओम प्रकाश ने प्रदीप आदि के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।कार्यवाही शुरू की गई।दो भाइयों-प्रदीप और दलबीर को गिरफ्तार कर लिया गया।

(5) अभियोजन पक्ष के मामले का पहला संस्करण राम मूर्ति ने दिया था।यह आरोप लगाया गया था कि 2 मार्च, 1995 की रात को रिसाल सिंह, उनकी पत्नी-जादाव देवी, ओम प्रकाश और उनकी पत्नी-श्रीमती। दर्शना और श्रीमती भी। राम मूर्ति की पत्नी बाला और उनके भाई शमशेर 'धानी' में मौजूद थे।ढाई साल से कम उम्र के तीन बच्चे भी वहाँ थे।लगभग 10.30 बजे, राम किशन एक हथियार के साथ।12 बोर सिंगल बैरल बंदूक 'धानी' के पास आई।उसके साथ आरोपी मुन्ना भी था।राम किशन ने एक लालकारा दिया और पूरे परिवार को खत्म करने *की* धमकी दी।बरामदे में मौजूद ओम प्रकाश बाहर आ गए।राम किशन ने उन पर *गोली* चला दी।वह गिर पड़ा।इसके बाद राम किशन ने रिसाल सिंह पर गोली चला दी।मुन्ना ने सुनिश्चित किया कि महिलाएं कमरे से बाहर न निकलें।राम किशन ने जादाव देवी और अन्य दो महिलाओं पर गोली चलाई।जबकि राम

किशन गोली चला रहा था, शिकायतकर्ता-राम मूर्ति अपने बहनोई-शमशेर के साथ गेहूं के खेत में पेड़ों के पीछे से घटनाओं को देख रहा था।वे डर के कारण आगे नहीं बढ़े थे।भोर में राम मूर्ति अपने बहनोई शमशेर को शवों के साथ छोड़ कर रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन गए।सुबह 8:30 बजे इंस्पेक्टर-राजिंदर सिंह, एस. एच. ओ., पुलिस स्टेशन, सदर, हिसार ने शिकायतकर्ता राम मूर्ति का बयान दर्ज किया।बयान के आधार पर, एफ. आई. आर. एक्स. पी. के. रिकॉर्ड किया गया।मामला दर्ज करने के बाद इंस्पेक्टर राजिंदर सिंह अन्य लोगों के साथ सुबह करीब साढ़े नौ बजे पुलिस स्टेशन से चले गए थे। पुलिस दल सुबह लगभग 10 बजे दो वाहनों में राम मूर्ति की 'धानी' पहुंचा। क्राइम वैन सुबह 10.15 बजे घटना स्थल पर पहुंची। सिपाही मियां सिंह ने तस्वीरें लीं।ये पूर्व हैं। पाई से पी18।हेड कांस्टेबल-करनैल सिंह ने श्रीमती के बाएं हाथ से बालों का गुच्छ लिया। बाला-मृत।इन्हें एक पार्सल में सील कर दिया गया था-रिकवरी मेमो *एक्स के* माध्यम से। पीटी। मुहर करनैल सिंह को दी गई थी।इंस्पेक्टर राजिंदर सिंह ने रफ साइड प्लान तैयार किया जो एक्स है। पीवी. उन्होंने शवों के पास के स्थानों से खून से सना मिट्टी भी उठाया।ज्ञापन Ex है। पी. एल. सात खाली स्थान भी उठाए गए और उन्हें अपने कब्जे *में ले* लिया गया-रिकवरी मेमो एक्स के माध्यम से। पीएल/1।कुछ वैड्स और छर्रों को कब्जे में ले लिया गया था-oide पुनर्प्राप्ति ज्ञापन Ex। पीएल/2।एक खून से सना ईंट जो ओम

परकस (पूर्व। पी52) को कब्जे में ले लिया *गया था,-रिकवरी* मेमो एक्स के माध्यम से। पीएल/3।टूटी हुई चूड़ियाँ (Ex.P61) कब्जे में *ले ली* गईं,-मेमो एक्स के माध्यम से। पीएल/4।ओम प्रकाश के हाथ से निकाली गई खून से सना हुआ कलाई घड़ी को *कब्जे में* ले लिया गया-रिकवरी मेमो Ex.PL/5 के माध्यम से।सभी डिब्बों को सील कर दिया गया।ज्ञापनों को राम मूर्ति और चौकीदार तेलू राम द्वारा सत्यापित किया गया था।

(6) इंस्पेक्टर राजिंदर सिंह ने जाँच रिपोर्ट तैयार की।उन्होंने शवों को ट्रैक्टर से हिसार के सामान्य अस्पताल भी भेज दिया।शिकायतकर्ता-राम मूर्ति, तेलू राम, चौकीदार और पाँच सिपाही इन शवों के साथ थे।पोस्टमॉर्टम के लिए आवेदन जमा किए गए।

(7) 8 मार्च, 1995 को तीनों अभियुक्तों को तलवंडी राणा गाँव के पास बीर बाबरन से गिरफ्तार किया गया था।प्रकटीकरण कथन पर Ex. पी. यू. बना दिया गया है, बंदूक एक्स। पी82, लाइसेंस एक्स। पी83, बैंडोलियर Ex.P84 और दो हल्के कारतुस Ex.P85 और पी86 को कब्जे में *ले लिया* गया। पी. यू/2.

(8) जाँच के बाद, मामला अदालत में दायर किया गया।जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, निचली अदालत ने राम किशन और मुन्ना को दोषी पाया।मोमन को बरी कर दिया गया।

(9) अपीलार्थियों के वकील श्री आर. एन. कुश ने तर्क दिया कि प्राथमिकी दर्ज करने में देरी हुई है। द्वारा दी गई कहानी

अभियोजन असंभव था।कथित चश्मदीद-शमशेर सिंह मौजूद नहीं थे।चिकित्सीय साक्ष्य नेत्र संबंधी संस्करण का समर्थन नहीं करते हैं।अपीलार्थी-मुन्ना के पास उपस्थित होने का कोई कारण नहीं था।किसी भी भूमिका का श्रेय नहीं दिया गया था।उसे।धारा 34 आकर्षित नहीं की गई थी।अंत में, यह तर्क दिया गया कि राम किशन को मौत की सजा देने का कोई मामला नहीं बनाया गया था।

(10) अपीलार्थियों की ओर से किए गए दावे का हरियाणा राज्य के वकील और शिकायतकर्ता द्वारा विरोध किया गया था।यह तर्क दिया गया था कि निचली अदालत ने अपेक्षाकृत नरम दृष्टिकोण अपनाया था।

(11) 1998 की आपराधिक अपील संख्या 325-एस. बी. में यह प्रस्तुत किया गया था कि पहले से दी गई सजा न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगी।

(12) विचार के लिए जो प्रश्न उठते हैं वे हैंः—

(i) क्या एफ. आई. आर. दर्ज करने में अनुचित देरी हुई है?

(ii) क्या अभियोजन पक्ष की कहानी असंभव है और इस प्रकार, विश्वास के योग्य नहीं है?

(iii) क्या चिकित्सीय साक्ष्य अभियोजन पक्ष की कहानी पर विश्वास करते हैं?

(iv) क्या ऐसी कोई परिस्थितियाँ हैं जिनसे राम किशन को मृत्युदंड से कम का दंड दिया जा सके?

(v) क्या मुन्ना की दोषसिद्धि बरकरार रखी जा सकती है?

(13) इन प्रश्नों पर विचार करने के लिए आगे बढ़ने से पहले, यह संक्षेप में ध्यान दिया जा सकता है कि अभियोजन पक्ष ने कुल 14 गवाह पेश किए हैं।चिकित्सा साक्ष्य में पीडब्लू5-डॉ. जे. एस. भाटिया, पीडब्लू9-डॉ. के. एल. जुग्गल और पीडब्लू10-डॉ. सुरेंद्र सिंह की गवाही शामिल है।दो चश्मदीद गवाह राम मूर्ति (पीडब्लू 7) और शमशेर सिंह (पीडब्लू 8) हैं।इंस्पेक्टर राजिंदर सिंह जाँच अधिकारी हैं।इनके और अन्य गवाहों के साक्ष्य का संदर्भ उचित स्तर पर दिया जाएगा।जहां भी प्रासंगिक हो, दस्तावेजी साक्ष्य पर भी विचार किया जाएगा।

(14) ऊपर दिए गए प्रश्नों पर अब विचार किया जा सकता है।

रेग.:(i) क्या एफ. आई. आर. दर्ज करने में अनुचित देरी हुई है?

(15) श्री कुश ने तर्क दिया कि यह घटना कथित रूप से 2 मार्च, 1995 को 10.30 PM पर हुई थी।अगले दिन प्राथमिकी दर्ज की गई।लगभग 9 घंटे की अस्पष्टीकृत देरी हुई।इस समय का उपयोग अभियोजन पक्ष द्वारा कहानी तैयार करने और आरोपी व्यक्तियों को गलत तरीके से फंसाने के लिए किया गया था।क्या ऐसा ही है?

(16) राम मूर्ति शिकायतकर्ता हैं।उन्होंने इंस्पेक्टर राजिंदर सिंह के सामने बयान दिया था।इसी बयान के आधार पर मामला दर्ज किया गया था।राम मूर्ति ने घटनाओं का क्रम दिया है।जिस तरह से राम किशन ने अपने माता-पिता, भाई, भाबी और उसकी पत्नी की हत्या की थी, जिसका 6/7 महीने का भ्रूण था, उसका एक चित्रमय वर्णन है।वह यह स्वीकार करने के

लिए काफी ईमानदार था कि उसने और उसके बहनोई ने खुद को बचाने के लिए "गेहूं के खेत में पेड़ों के पीछे शरण ली"।राम किशन और मुन्ना के जाने के बाद ही उन्होंने अपने बहनोई शमशेर सिंह के साथ धानी में प्रवेश किया और पाया कि उनकी मां, पिता, भाई, पत्नी और भाई की पत्नी मृत पड़ी थीं।उनका बयान यहीं खत्म नहीं होता।उन्होंने कहा है कि वह "डर के कारण रात में पुलिस स्टेशन नहीं आए थे।अब भोर में, मैं अपने बहनोई (पत्नी के भाई) शमशेर को शवों की रखवाली के लिए मौके पर छोड़ने के बाद रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन आया हूं।इस प्रकार, शिकायतकर्ता ने सीमा पर स्पष्टीकरण दिया है।उसने बताया है कि वह "डर के कारण" रात में अपने घर से नहीं निकला था।

(17) एक अन्य तथ्य जो उल्लेख करने योग्य है वह यह है कि भले ही शिकायतकर्ता और उसके परिवार का गाँव अबादी में एक घर था, वे फार्म हाउस (धानी) में रह रहे थे।राम मूर्ति ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था कि गाँव की अबादी में उनका एक घर था।उन्हें यह सुझाव दिया गया था कि उनकी "पत्नी ज्यादातर अबादी के घर में रहती थी"।इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया।उन्होंने प्रतिपरीक्षा के दौरान यह भी कहा कि "धानी लगभग 2 कि. मी. है।गाँव अबादी से "।वह अपने गाँव से बस में सवार हुआ था और कुछ मिनटों के बाद हिसार के बस स्टैंड पर उतर गया।पुलिस थाना सदर 5 से 6 कि. मी. दूर है।बस स्टैंड से, "इस स्थिति में, यह स्पष्ट है कि पुलिस स्टेशन घटना स्थल के करीब नहीं था।यह गाँव के पास भी नहीं था।यहां तक कि बस से भी शिकायतकर्ता को हिसार के बस स्टैंड तक पहुंचने में लगभग 15-20 मिनट लग गए थे।पुलिस स्टेशन 5-6 किलोमीटर की दूरी पर है।बस स्टेशन से।दूसरे शब्दों में, यह मान लेना सुरक्षित होगा कि पुलिस स्टेशन कम से कम 15 से 20 किलोमीटर दूर था।'धानी' से।

(18) परिवार के लगभग सभी सदस्यों की मृत्यु ने किसी को भी चौंका दिया होगा।हम शिकायतकर्ता के इस बयान पर संदेह नहीं कर सकते कि वह डर के कारण घर से नहीं निकला था।इतने सारे लोगों की मृत्यु ने सबसे मजबूत व्यक्ति के मन में भी एक वास्तविक भय पैदा कर दिया होगा।

(19) शिकायतकर्ता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि दिन लगभग सुबह 6 बजे आया था। इसके बाद वह थाने के लिए रवाना हो गया।वह सुबह 8:30 बजे पहुंचे थे। उनका बयान दर्ज किया गया।मामला दर्ज किया गया।मामले की परिस्थितियों में, हम संतुष्ट हैं कि कोई अनुचित या अस्पष्टीकृत देरी नहीं हुई थी।

(20) यह भी ध्यान देने योग्य है कि हमारे गाँवों में परिवहन के साधन आसान नहीं हैं।राम मूर्ति को बस में चढ़ने के लिए अपने फार्म हाउस से पैदल गांव जाना पड़ता था।हिसार के बस स्टैंड पहुंचने पर वह पुलिस स्टेशन पहुंचने के लिए तिपहिया वाहन ले गया था।उनका बयान सुबह 8:30 बजे दर्ज किया गया। विशेष रिपोर्ट सुबह 10 बजे न्यायिक मजिस्ट्रेट, हिसार को सौंप दी गई थी।

(21) घटनाओं का क्रम अनुचित देरी के किसी भी सुझाव के खिलाफ विद्रोह करता है।परिणामस्वरूप, अपीलार्थियों के वकील का दावा कि अस्पष्टीकृत देरी हुई थी, स्वीकार नहीं किया जा सकता है।तदनुसार, पहले प्रश्न का उत्तर नकारात्मक में दिया जाता है।

(ii) क्या अभियोजन पक्ष की कहानी असंभव है और इस प्रकार, विश्वास के योग्य नहीं है?

(22) श्री कुश ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष की कहानी असंभव थी।क्या ऐसा ही है?

(23) घटनाओं का क्रम बी है?संक्षेप में ध्यान दिया।इसे दोहराया जा सकता है।संक्षेप में, अभियोजन पक्ष ने सुझाव दिया है कि रिसाल सिंह और छजू राम के पास के जमीन के टुकड़े थे।शिकायतकर्ता पक्ष ने घटना की तारीख से लगभग डेढ़ साल पहले एक ट्यूबवेल स्थापित किया था।छजू राम का परिवार शिकायतकर्ता के पास एक ट्यूबवेल लगाने की प्रक्रिया में था।यदि ऐसा किया गया था, तो यह संभावना थी कि दोनों ट्यूबवेलों के लिए उपलब्ध पानी अपर्याप्त था।इस प्रकार, शिकायतकर्ता पक्ष ने उचित रूप से आपत्ति जताई थी।लेकिन उन्होंने कानून अपने हाथ में नहीं लिया था।उन्होंने दीवानी मुकदमा दायर किया था।उन्हें निषेधाज्ञा दे दी गई।छजू राम के पुत्र। राम किशन, प्रदीप और दलबीर ने ट्यूबवेल की खुदाई जारी रखी *थी।इसके* बाद पुलिस को सूचित किया गया, प्रदीप और दलबीर को हिरासत में ले लिया गया।इससे राम किशन नाराज हो गए थे।इस प्रकार, उन्होंने शिकायतकर्ता पक्ष के हर एक व्यक्ति को गोली मार दी थी, जिस पर वे अपनी नज़र रख सकते थे।ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने इसे चुना था।शिकायतकर्ता पक्ष को दीवानी अदालत और पुलिस से संपर्क करने के लिए सबक सिखाएं।उसके भाइयों की गिरफ्तारी उसके लिए शिकायतकर्ता पक्ष का सफाया करने का एक मजबूत कारण था।

(24) मान लीजिए, राम मूर्ति और राम किशन चचेरे भाई हैं।भले ही यह माना जाए कि वे एक-दूसरे के प्रति प्यार से नहीं थे, लेकिन किसी भी पुराने मुकदमेबाजी या दुश्मनी का कोई सबूत नहीं है।इससे भी आगे, यह स्पष्ट है कि जब राम किशन आदि ने शिकायतकर्ता पक्ष के अनुरोध को नहीं सुना था, तो उन्होंने कानून को अपने हाथों में नहीं लिया था, उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया था और निषेधाज्ञा प्राप्त की थी।इसके बाद भी वे पुलिस के पास गए थे।हम शिकायतकर्ता के आचरण में कोई विसंगति नहीं पाते हैं।और भी आगे, इसकी संभावना नहीं है

कि राम मूर्ति उस व्यक्ति का नाम नहीं बताएगी जिसने अपने माता-पिता, भाई, भाबी और गर्भवती पत्नी की हत्या की थीःयह समान रूप से असंभव है कि वह चाहेगा कि उसके चचेरे भाई को फांसी पर चढ़ाया जाए यदि वह निर्दोष था।

(25) यह सच है कि मकसद आमतौर पर एक दोधारी हथियार होता है।यदि किसी व्यक्ति का हत्या करने का उद्देश्य है, तो दूसरे पक्ष को गलत तरीके से फंसाने का उद्देश्य हो सकता है।हालाँकि, वर्तमान मामले में, यह स्पष्ट है कि राम किशन के पास शिकायतकर्ता पक्ष से नाराज होने का एक कारण था।उन्होंने पूरे परिवार का लगभग सफाया करने का चरम कदम उठाया था।हालाँकि, हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे पता चले कि शिकायतकर्ता पक्ष के पास असली अपराधी को छोड़ने या राम किशन को गलत तरीके से फंसाने का कोई कारण था।

(26) यह तर्क दिया गया कि अभियोजन पक्ष का मामला असंभव है क्योंकि यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि राम मूर्ति और शमशेर अगर वास्तव में मौजूद होते तो हस्तक्षेप नहीं करते।कार्य करने में उनकी विफलता इंगित करती है कि वे उपस्थित नहीं थे।क्या ऐसा ही है?

(27) अपने परिवार के साथ राम मूर्ति की उपस्थिति स्वाभाविक थी।यह भी स्वीकार किया गया है कि राम मूर्ति ने प्राथमिकी दर्ज करते समय विशेष रूप से कहा था कि शमशेर सिंह-उनका बहनोई उनकी बहन से मिलने आया था।घटना स्थल पर उसकी उपस्थिति का शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए शुरुआती संस्करण में विशेष रूप से दावा किया गया है।दूसरा,

राम मूर्ति पीडब्लू 7 के रूप में दिखाई दिए थे।जिरह के दौरान भी उन्होंने कहा था कि शमशेर शाम 5 बजे हमारी धानी आया था। शाम 5 बजे से घटना तक हम सभी धानी में रहे।यह सुझाव कि वह और शमशेर उपस्थित नहीं थे, स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया गया था।इसके अलावा, शमशेर पी. डब्ल्यू. 8 के रूप में दिखाई दिए थे।उन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी उपस्थिति का दावा किया था।यह विवादित नहीं था कि उनकी दो बहनों का विवाह राम मूर्ति और ओम प्रकाश से हुआ था।उनके ससुराल में उनसे मिलना उनके लिए स्वाभाविक होगा।दोनों गवाहों द्वारा दिए गए बयान उनकी उपस्थिति के बारे में हमारे मन में कोई संदेह पैदा नहीं करते हैं।

(28) श्री कुश ने हालांकि तर्क दिया कि राम मूर्ति और शमशेर की निष्क्रियता उनकी उपस्थिति के खिलाफ है।

(29) हम इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं।दोनों गवाहों ने दावा किया है कि वे एक खाट पर लेटे हुए थे।वे निहत्थे थे।ओम प्रकाश को उनकी उपस्थिति में गोली मार दी गई थी।उन्होंने खेत में पेड़ों के पीछे जाकर अपने पांच लोगों को बचाया था।

(30) ऐसा हो सकता है कि एक साहसी व्यक्ति ने बैल को सींग से पकड़ लिया हो।हो सकता है कि उसने आरोपी पर हमला किया हो और परिवार के सदस्यों को हर कीमत पर बचाने की कोशिश की हो।यहाँ तक कि अपनी पत्नी के लिए भी जोखिम में।हालाँकि, व्यक्तिगत प्रतिक्रियाएँ समय-समय पर और स्थान-स्थान पर भिन्न हो सकती हैं।

जगह।मूल रूप से, आत्म-संरक्षण एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है।यदि यह एक मामले में प्रबल है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि th8।आचरण पूरी तरह से अप्राकृतिक है और इस प्रकार, विश्वास के योग्य नहीं है।इसके अलावा, अभिलेख पर साक्ष्य से पता चलता है कि महिलाओं में से एक ने साहस दिखाया था।श्रीमती. दर्शना ने राम किशन के बाल खींचे थे।उसके हाथ में एक गुच्छा पाया गया।फिर भी, उसे मौत के घाट उतार दिया गया।जाहिर है, राम किशन के पास एक फायदा था।वह बंदूक से लैस था।शिकायतकर्ता खाली हाथ था।उन्हें अनजान बना लिया गया।ऐसी स्थिति में, केवल यह तथ्य कि राम मूर्ति और शमशेर ने हस्तक्षेप नहीं किया, बल्कि अपनी जान बचाने का फैसला किया, इसका मतलब यह नहीं हो सकता कि वे घटना के स्थान और समय पर मौजूद नहीं थे।

(31) श्री कुश ने तर्क दिया कि 3 मार्च, 1995 को जब पुलिस पहुंची तो शमशेर सिंह घटना स्थल पर मौजूद नहीं पाए गए।

(32) निस्संदेह ऐसा ही है।हालांकि, शमशेर सिंह ने स्थिति स्पष्ट की है।जब वे पीडब्लू 8 के रूप में सामने आए, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि "तेलू राम के धानी पहुंचने के बाद, चौकीदार, मैं अपने परिवार के सदस्यों को सूचित करने के लिए सुबह लगभग 8 बजे अपने गांव के लिए रवाना हुआ।मैं शाम 5 बजे अपने गाँव से लौटा जब पुलिस मुझसे तलवंडी राणा बस स्टैंड पर मिली।मैंने वहाँ की पुलिस को अपना बयान दिया।गवाह का आचरण स्वाभाविक था।उसकी दो बहनों और बहनोई की हत्या कर दी गई थी।उसे अपने परिवार को सूचित करना पड़ा।उसे शवों की देखभाल के लिए मौके पर छोड़ दिया गया था।तेलू राम के पहुंचने के बाद ही वे गए थे, चौकीदार राड पहुंचे।इसके अलावा, जांच रिपोर्ट से पता चलता है कि जब पुलिस मौके पर पहुंची तो तेलू राम मौजूद था।इस तथ्य को इंस्पेक्टर राजिंदर सिंह (पीडब्लू14) ने अपनी गवाही के दौरान दोहराया था।उन्होंने दावा किया था कि "तेलू राम, चौकीदार, उम्मेद

सिंह, पंच और धरम पाल, पूर्व-पंच शवों के पास मौके पर मौजूद पाए गए थे"।इस प्रकार, अभिलेख पर यह स्थापित किया गया है कि शमशेर सिंह ने तेलू राम के आने के बाद ही शवों को छोड़ दिया था।घटना स्थल को छोड़ने का उनका आचरण स्वाभाविक था।उनके पास जाने और अपने परिवार को त्रासदी के बारे में सूचित करने का उचित कारण था।घटनाओं के बारे में अस्वाभाविक या असंभव दंगे हुए थे।

(33) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम अभियुक्त के खिलाफ दूसरे प्रश्न का भी उत्तर देते हैं और मानते हैं कि चश्मदीद गवाह मौजूद थे और अभियोजन पक्ष की कहानी न तो अप्राकृतिक है और न ही अविश्वसनीय है।

रेगः((ग) क्या चिकित्सीय साक्ष्य अभियोजन पक्ष की कहानी पर विश्वास करते हैं?

(34) यह तर्क दिया गया कि ओम प्रकाश को लगी चोटों के संबंध में चिकित्सा साक्ष्य अभियोजन पक्ष की कहानी को गलत साबित करते हैं।क्या ऐसा ही है?

(35) डॉ. EDr.J KL 'JIuggal9 (PW9) चैडलिको I ने ओम प्रकाश के शरीर पर पोस्ट-मो परीक्षा की।उन्हें निम्नलिखित चोटें लगी थींः—

1 1. घाव का माप 5x1 सेमी।यह बाएँ पार्श्विक क्षेत्र पर मौजूद था, जो ओसीपीट के 5 सेमी पार्श्व में था।यह हड्डी गहरी थी।हड्डी में छेद देखे गए।घाव के किनारे उल्टे और खुरदरे थे, घाव के चारों ओर काले रंग का कॉलर घर्षण मौजूद था।

2 .एए त्रिकोणीय घाव 3x2x11सी सेमी।हड्डी गहरी, (बाईं पार्श्विका हड्डी में मौजूद थी, 9 सेमी।कान के ऊपर।घाव के किनारे उल्टे और खुरदरे थे।घर्षण का गहरा कॉलर मौजूद था।घाव और ऊतकों में जमा हुआ खून भी मौजूद था।

3 .घाव 5 x।8 से. मी.माथे के दाहिने हिस्से में हड्डी की गहराई, मध्य से 3 सेंटीमीटर ऊपर और भौंह का पहलू मौजूद था।जमा हुआ खून मौजूद था।घाव के किनारे खुरदरे और उल्टे थे और गहरे रंग का घर्षण मौजूद था।

4 घाव 3x1 सेमी।हड्डी गहरी, खोपड़ी पर 3 सेमी 4एनटी तक मौजूद थी।घाव के पीछे की चोट संख्या 3 को उल्टा और खुरदरा कर दिया गया था।घाव के चारों ओर गहरे रंग का घर्षण मौजूद था।

5 .घाव 5 x 2.5 सेमी।आकार में अनियमित, दाहिने सामने के पार्श्विक क्षेत्र 6 सेमी पर मौजूद था।दाहिना नेत्र भुजा के पार्श्व पक्ष के ऊपर।घाव के किनारे उल्टे और खुरदरे हो गए।नीचे की हड्डी बुरी तरह से टूट गई थी और 2x2 सेमी मापने वाला एक बड़ा छेद था।ऊतक में जमा हुआ खून मौजूद था।

6 .घाव 4x2 सेमी।ओसीपीटल prominence.Margins के पास दाएँ ओसीपीट पर मौजूद था जो खुरदरा और उभरा हुआ था।

7 नाक की हड्डी टूट गई थी।

विच्छेदन परः

खोपड़ी का विच्छेदनःचारों हड्डियाँ टूट गई थीं और हड्डियों के टुकड़े मस्तिष्क पदार्थ में अंतर्निहित पाए गए थे।सभी मेनिन्जेस फटे हुए थे और कैरेनियल गुहा में खून

था।मस्तिष्क के ऊतक से तीन छर्रों को निकाला गया।कटर घाव 8x5 सेमी मापता है।यह बाएँ हाथ और कलाई के जोड़ के सामने की ओर मौजूद था।अंगूठे का आधार बाधित हो गया था।सूचकांक की मेटाकार्पल हड्डी

उंगली का डब्ल्यू. ए. एस. टूट गया।घाव में खून जमा हुआ था।सभी नसें, मांसपेशियां और अन्य ऊतक बुरी तरह से टूट गए थे।घाव के नरम पहलू पर, किनारों को उल्टा किया गया था जबकि पार्श्व पहलू पर, किनारों को सीधा किया गया था।

9. 14 x 9 से. मी. के क्षेत्र में दाहिनी बीमार हड्डी के स्तर पर पेट के दाहिने हिस्से पर 12 नंबर के कई पंक्चर घाव मौजूद थे।दो घावों को 2x3 सेमी मापा गया।और 2 x 1.2 सेमी।जबकि 10 घावों को 3 x मापा गया।3 से. मी.प्रत्येक।मार्जिन एवरटेड और रैगड थे।घाव के चारों ओर गहरे रंग का घर्षण भी मौजूद था।क्षेत्र में भीड़ भी मौजूद थी।घाव की खोज करने पर, दाहिनी बीमार हड्डी टूटी हुई पाई गई।दाहिनी बीमार धमनी फट गई थी।कई स्थानों पर छोटी और बड़ी आंतों में पंक्चर हो गए थे।पेट की गुहा का पूरा निचला हिस्सा खून से भरा हुआ था।5 पेलेट पेट की गुहा में पाए गए थे।5 दाहिने ग्लूटियल क्षेत्र की मांसपेशियों से पैलेट हटा दिए गए थे।

10. बीच में दाहिनी पिंडली की हड्डी पर घर्षण 2.5 x 0.8 सेमी मौजूद था।"

(36) उन्होंने यह भी विचार व्यक्त किया था कि 1 से 4 और 9 तक की चोटें आग्नेयास्त्र के कारण प्रवेश द्वार पर लगी चोटें थीं।

(37) श्री कुश ने तर्क दिया कि साक्ष्य के अनुसार, ओम प्रकाश पर चलाई गई गोलियों की संख्या 1 से 5 तक थी।घायलों की संख्या 10 थी।आरोप है कि चोटें ईंट से भी लगी हैं।पोस्टमार्टम जांच में पाई गई वास्तविक चोटें मौखिक गवाही की पुष्टि नहीं करती हैं।क्या ऐसा ही है?

(38).....एफ. आई. आर. में यह उल्लेख किया गया है कि "राम किशन ने मेरे भाई ओम प्रकाश पर बंदूक से गोली चलाई, जिसके परिणामस्वरूप वह गिर गया।"अदालत के समक्ष अपने बयान के दौरान, राम मूर्ति ने कहा कि "घटना स्थल से निकलते समय, राम किशन-आरोपी ने मेरे भाई-ओम प्रकाश के सिर पर ईंट से 5-6 वार किए।"जिरह के दौरान, गवाह ने कहा कि "राम किशन द्वारा चलाई गई पहली गोली मेरे भाई ओम प्रकाश के पेट पर लगी और वह नीचे गिर गया राम किशन ने ओम प्रकाश पर तीन गोलियां चलाई थीं" गवाह ने यह भी कहा कि "पहली गोली राम किशन द्वारा ओम प्रकाश से दो फीट की दूरी से चलाई गई थी"।

(39) चिकित्सीय साक्ष्य स्पष्ट रूप से अग्नि भुजा के उपयोग का संकेत देते हैं।डॉ. जुग्गल ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा है कि 1 से 4 और 9 नंबर की चोट आग की बांह के कारण प्रवेश द्वार के घाव थे।उन्होंने यह भी कहा कि

वह बैलिस्टिक विशेषज्ञ नहीं है।" उन्होंने स्वीकार किया कि वह इस सवाल का सटीक जवाब नहीं दे सके कि चोट संख्या 1 से 4 अलग शॉट का परिणाम थी।ये चोटें अलग-अलग शॉट्स से संभव हो सकती हैं।

(40) अभिलेख पर साक्ष्य स्पष्ट रूप से इस तथ्य का संकेत देते हैं कि राम किशन ने

ओम प्रकाश और अन्य पर गोली चलाई थी।उनकी उपस्थिति न केवल मौखिक गवाही बल्कि फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, एक्स की रिपोर्ट से भी निर्णायक रूप से स्थापित हुई है। पीआर। मृतक बाला देवी के बाएं हाथ से लिए गए बालों को फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में भेज दिया गया।रिपोर्ट के अनुसार, एक्स। पीआर/1, बालों की तुलना नमूने एक्स के साथ की गई थी। पी25।ये मानव पाए गए और "उनकी अधिकांश रूपात्मक और सूक्ष्म विशेषताओं में समानताएं दिखाई दीं।"

(41) ऐसा हो सकता है कि प्रत्येक चोट को चित्रात्मक रूप से वर्णित नहीं किया गया हो।लेकिन हम यह नहीं भूल सकते कि मानव स्मृति की सीमाएँ हैं।समान रूप से, घटनाओं की धारणा भी फोटोग्राफिक नहीं हो सकती है।जब किसी घटना का वर्णन किया जाता है, तो कुछ विवरणों को भुला दिया जा सकता है और कुछ को अनावश्यक होने के रूप में नजरअंदाज किया जा सकता है।हालांकि, बाद की तारीख में, कोई भी घटनाओं के क्रम को दोहरा सकता है और इसका वर्णन कर सकता है।मामूली भिन्नताएं वास्तव में झूठ के बजाय सच्चाई का संकेत हो सकती हैं।वर्तमान मामले में राम मूर्ति को एक गंभीर त्रासदी का सामना करना पड़ा था।उनके सभी करीबी और प्रियजनों की मौत हो चुकी थी।उनके लिए सूक्ष्म सटीकता के साथ घटनाओं को दोहराना मानवीय रूप से असंभव होता।वास्तव में, ऐसा करने के किसी भी प्रयास से संदेह पैदा हो सकता है।मामले की परिस्थितियों में, हमें ऐसा लगता है कि सभी पांचों को बंदूक की गोली से चोटें आई थीं।ये चोटें घातक थीं।अभिलेख पर साक्ष्य अर्थात् मौखिक गवाही, चिकित्सा साक्ष्य और फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट स्पष्ट रूप से स्थापित करती है कि चोट राम किशन के कारण लगी थी।ये चोटें उनके इशारे पर बरामद बंदूक के कारण लगी थीं।अभियोजन पक्ष द्वारा बनाया गया मामला विधिवत स्थापित है।मामूली विसंगतियाँ केवल गवाहों द्वारा दिए गए बयान की सच्चाई का प्रतीक हैं।

(iv) क्या ऐसी कोई परिस्थितियाँ हैं जिनसे राम किशन को मृत्युदंड से कम का दंड दिया जा सके?

(42) यह तर्क दिया गया कि राम किशन के नाबालिग बच्चे और एक युवा पत्नी थी।उसे मौत की चरम सजा नहीं दी जानी चाहिए।क्या ऐसा ही है?

(43) निचली अदालत ने पाया है कि राम किशन ने रिस्कल सिंह, जादाव देवी, ओम प्रकाश, श्रीमती की जान ले ली थी। दर्शना और श्रीमती। बाला।यह आगे स्पष्ट है कि श्रीमती। बाला 6 से 7 महीने की गर्भावस्था ले रही थी।कोई provocation.There कोई औचित्य नहीं था।यह एक बीमार दिमाग का कार्य था।निर्दोष जीवन एक में ले जाया गया।क्रूरतापूर्ण और कठोर तरीके से।असहाय, बुजुर्गों के साथ-साथ महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया।राम किशन ने कोई करुणा नहीं दिखाई।वह किसी के लायक नहीं है।

(44) यह सच है कि मृत्युदंड की सजा दुर्लभ है।हालाँकि, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि राम किशन जैसे लोगों को निर्दोष और निहत्थे व्यक्तियों पर कठोर अपराध करने की अनुमति न दी जाए।मोरेसो, बूढ़ी और असहाय महिलाओं के मामले में।हम किसी भी दया को उचित ठहराने के लिए कोई कम करने वाली परिस्थितियाँ नहीं पाते हैं।

(v) क्या मुन्ना की दोषसिद्धि बरकरार रखी जा सकती है?

(45) श्री कुश ने तर्क दिया कि मुन्ना का मुख्य आरोपी के साथ कोई संबंध नहीं था।वह खाली हाथ था।उन्हें कोई निश्चित भूमिका नहीं दी गई थी।इस प्रकार, धारा 34 को लागू नहीं

किया जा सकता है और उसकी दोषसिद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता है।क्या ऐसा इसलिए है कि मुन्ना को कोई भूमिका नहीं दी गई?

(46) एफ़. आई. आर. में, यह दर्ज किया गया है कि "मुन्ना ने महिलाओं को कमरे में हिरासत में लिया और उसे (राम किशन) $राम मूर्ति जल्दी करने के लिए कहा और उसके रिश्तेदार भाग गए थे।यह सुनकर राम किशन कमरे में घुस गया और मेरी माँ, पत्नी और मेरे भाई की पत्नी पर गोलियां चलाईं, जो बंदूक मिलने पर फर्श पर गिर गई।गोली चलाने के बाद राम किशन और मुन्ना बंदूक लेकर खेतों की ओर भाग गए।राम मूर्ति ने अदालत के समक्ष अपने बयान के दौरान इस स्थिति को दोहराया था।अतः यह नहीं कहा जा सकता कि मुन्ना को कोई भूमिका नहीं सौंपी गई थी।उनकी सक्रिय भागीदारी स्पष्ट रूप से स्थापित है।इस प्रकार, निचली अदालत द्वारा लिया गया दृष्टिकोण किसी भी हस्तक्षेप की मांग नहीं करता है।

(47) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, सभी पाँच प्रश्नों का उत्तर अपीलार्थियों के विरुद्ध दिया जाता है।

(48) यह विचार के लिए एक सहायक मामला छोड़ देता है।शस्त्र अधिनियम, 1959 के तहत दोषसिद्धि के आदेश को चुनौती देने के लिए 1998 की आपराधिक अपील संख्या 189-डी. बी. और 325-एस. बी. दायर की गई हैं।जहाँ तक राम किशन का संबंध है, यह स्थापित होता है कि उसके पास एक बंदूक थी जिसके लिए उसके पास कोई लाइसेंस नहीं था।असल में बंदूक मोमन की थी।इस प्रकार, उसके पास हथियार अनधिकृत रूप से था।यह हथियार, जैसा कि ऊपर पाया गया है, उसके द्वारा इस्तेमाल किया गया था।इस प्रकार, उसके खिलाफ धारा 25 के तहत आरोप भी स्पष्ट रूप से स्थापित है।इसलिए जैसा कि मोमन का संबंध है, उन पर शस्त्र अधिनियम की धारा 29 और 30 के तहत आरोप लगाया गया था। उन्हें धारा 30 के तहत आरोप से बरी कर दिया गया था।इसके बावजूद, आर 'इकोर्ड पर साक्ष्य स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वह अपना हथियार लेकर भाग गया था और उसे राम किशन को दे दिया था।इस प्रकार, वह धारा 29 की शरारत को स्पष्ट रूप से विफल कर देगा।

(49) श्री एएमआर। 1998 के क्रिमिनल ए. पी. नंबर 325-एस. बी. में मोमन की ओर से पेश हुए अजीत लाम्बा ने बताया कि वह 1998 से हिरासत में थे।

8मार्च, 1995 से 13 फरवरी, 1996 तक जब उन्हें जमानत पर रिहा किया गया था।इस प्रकार, वह पहले ही 11 महीने से अधिक के ठोस कारावास से गुजर चुका था।उन्होंने प्रार्थना की कि धारा 29 के तहत उनके द्वारा पहले से किए गए कारावास से उन्हें रिहा किया जा सकता है।मामले की परिस्थितियों में, उसकी दोषसिद्धि बरकरार रखी जाती है।हम संतुष्ट हैं कि न्याय का अंत तब होगा जब उसे पहले से दी गई सजा से मुक्त कर दिया जाता है।तदनुसार आदेश दिया।

(50) उपरोक्त, हत्या ***के*** संदर्भ No. 19/ 23 को स्वीकार कर लिया गया और राम किशन को दी गई मौत की सजा की पुष्टि की गई।1998 की आपराधिक अपील संख्या 188-डी. बी., 189-डी. बी. और 1998 की आपराधिक संशोधन संख्या 722 को खारिज कर दिया जाता है।सजा के संबंध में 1998 की आपराधिक अपील संख्या 325-एस. बी. की आंशिक रूप से अनुमति है।अन्यथा, दोषसिद्धि बरकरार रखी जाती है।

एस. के.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

दीपांशु सरकार
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

एस. एस. सुधालकर से पहले जे.

एसएमटी। रामा एलियास राम काला,-अपीलार्थी

बनाम

अनिल कुमार जोशी,-प्रतिवादी

1999 का एफ. ए. ओ. सं. 1142

29अक्टूबर, 1999

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955-संरक्षक और वार्ड अधिनियम, 1890-एस. एस. *10 और 25-तलाक के बाद पत्नी ने पुनर्विवाह किया-तलाक के समय, बच्चों की अभिरक्षा पति को सौंप दी गई-एक साल के बाद, पत्नी ने अपने नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा के लिए इस आधार पर याचिका दायर की कि प्रतिवादी के पास नाबालिग को बनाए रखने की वित्तीय क्षमता नहीं है-मुकदमे से पहले अदालत के बच्चों ने* मां *के साथ जाने से इनकार कर दिया-क्या नाबालिग की अभिरक्षा तय करने में बेहतर आर्थिक स्थिति* सर्वोपरि *विचार होना चाहिए-आयोजित, नहीं-निचली अदालत के आदेश ने मां को भविष्य में याचिका दायर करने की स्वतंत्रता के साथ बरकरार रखा, अगर नाबालिग उसके साथ जाना चाहती है।*

माना जाता है कि पुनर्विवाह पूर्व विवाह से बच्चों की अभिरक्षा रखने से वंचित नहीं करता है।हालाँकि, यह देखा जा सकता है कि हाथ में मामले में, अपीलार्थी ने नाबालिग की अभिरक्षा प्रत्यर्थी को दे दी थी जब उसने तलाक लिया था।अब वह अभिरक्षा चाहती है।वह संतुष्ट हो सकती है कि वह नाबालिग का पालन-पोषण अपने पूर्व पति की तुलना में बेहतर आर्थिक स्थिति में कर सकती है।हालांकि, बेहतर आर्थिक स्थिति -